प्राथमिक डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम –हिण्डौन जिला करौली
इजलास – अनूपसिंह, R.A.S.

उनवान

हंसराम पुत्र मौसरिया उम्र 39 साल जाति मीना निवासी कोडिया तहसील हिण्डौन जिला करौली ——————————————— वादी

बनाम

1.	हरीचरण	पिसरान बोद्‌या	जाति मीना निवासी कोडिया तहसील हिण्डौन जिला करौली
2.	हरीनारायण		
3.	श्रीमती कैलाशी पुत्री बोद्‌या		
4.	तहसीलदार तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान		— प्रतिवादीगण

दावा बाबत् तकास्मा आराजीयात एवं स्थायी निषेधाज्ञा   मुकदमा नं0268 / 2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे हाजिरी श्री देवीसिंह एडवोकेट मिन कानिव मुदई रूबरू .... मिन जानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व प्राथमिक डिक्री दी जाती है कि विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 1005 रकबा 0.12 है0, 1052 रकबा 0.25 है0, 1053 रकबा 0.23 है0, 134 रकबा 0.20 है0, 1464 रकबा 0.53 है0, 231 रकबा 0.20 है0, 259 रकबा 0.19 है0, 526 रकबा 0.15 है0, 717 रकबा 0.14 है0, 810 रकबा 0.22 है0, 824 रकबा 0.35 है0, 957 रकबा 0.07 है0, कुल किता 12 कुल रकबा 2.65 है0 वाके ग्राम कोडिया तहसील श्रीमहावीरजी के खातेदार कैलाशी पुत्री वोद्‌या हि0 1/3, हरिचरण पुत्र वोद्‌या हि035/288, हरिनारायण पुत्र वोद्‌या हि01/3, हंसराम पुत्र मोसरिया हि0 61/288 के अनुसार पक्षकारान के मध्य बंटवारा करने हेतु तहसीलदार तहसील श्रीमहावीरजी को 1000/–रूपया फीस पर बंटवारा कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि उक्त आराजीयात का पक्षकारान के मध्य अच्छी में से अच्छी और बुरी में से बुरी के आधार पर बंटवारा कर बंटवारा स्कीम मय ट्रेस 2 प्रतियों में तैयार कर न्यायालय में पेश करें। निर्णय व प्राथमिक डिक्री की प्रति तहसीलदार तहसील श्रीमहावीरजी को पालनार्थ भेजी जावे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 7-3-2022 को यह डिक्री जारी की गई।

(अनूपसिंह)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली